गुरबंचन सिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 91/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 91/2025

गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री गुरशरण सिंह — प्रार्थी
पैरोकार राज — अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–21.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम (बचन सिंह पुत्र उजागर सिंह) से चक 2 एल एल पटवार हल्का 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 15/10 के मु0न0 10, 11 की 3.837 हेक्टर में 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी चक के खाता स० 14/9 के मु0न0 16 की 1.66 हैक्टर में प्रार्थी के नाम (गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह) से 727/3320 हिस्सा तथा प्रार्थी के दूसरे नाम (बचन सिंह पुत्र उजागर सिंह) से 311/4980 हिस्सा दर्ज है जमाबंदियो की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र व जन आधार कार्ड में नाम गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह दर्ज है प्रार्थी के कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज नाम (बचन सिंह) व अन्य दस्तावेजो में दर्ज नाम (गुरबचन सिंह) से मिलान नही होता है जिसके कारण प्रार्थी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अडचने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी प्रार्थी बंचित हो रहा है। गुरबचन सिंह व बचन सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नही है बल्कि एक ही व्यक्ति (प्रार्थी) के दो नाम है चूंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में गुरबचन सिंह दर्ज है जमाबंदी में बचन सिंह दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी का जमाबंदी में नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित कर गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की ग्राम प्रशासक/सरपंच ने भी अपने पंचायत 4 एल एल ढीगांवाली लैटरपैड पर प्रमाणित किया है कि गुरबचन सिंह व बचन सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है इस प्रकार प्रार्थी को दोनों नामो से जाना जाता है लैटरपैड संलग्न प्रार्थनापत्र है। गांव में प्रार्थी को दोनो नाम से गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिंह से जाना जाता है इसलिए जमाबंदीयो में बचन सिंह नाम गलती से दर्ज हो गया है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इसलिए जमाबंदीयो में संशोधित किया जाकर नाम संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने दिनांक 4.6.2025 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जो जमाबंदीयो में गलती से बचन सिंह दर्ज है को संशोधित कर गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिह दर्ज किया जावे तो अप्रार्थी ने कहा कि इसके लिए आपको श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होगा, यही वाद कारण है। भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 एल एल पटवार हल्का 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 15/10 के मु0न0 10,11 की 3.837 हेक्टर में 1/6 हिस्सा व इसी चक के खाता स० 14/9 के मु0न0 16 की 1.66 हैक्टर में 311/4980 हिस्सा बचन सिंह के नाम से दर्ज है जिसे संशोधित कर गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिंह किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट घटना बही के अनुसार बचनसिंह और गुरबचन सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और भू.अ.नि. की रिपोर्ट अनुसार बचन सिंह और गुरबचन सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आज राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 2 एलएल, पटवार हल्का 4 एलएल, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 14/9, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 2 एलएल, पटवार हल्का 4 एलएल, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 15/10, प्रार्थी गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह निर्वाचन कार्ड की प्रति, प्रार्थी गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह के नाम से जारी पेन कार्ड की प्रति, प्रार्थी गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह की पत्नी मनजीत कोर के नाम से जारी जन आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी गुरबचन सिंह पुत्र उजागर सिंह के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 28.01.1999 की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत 4 एलएल ढींगावाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें गुरबंचन सिंह व बचन सिंह दोनों एक ही व्यक्ति होने की ताइद की गई है के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 2 एल एल पटवार हल्का 4 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

स० 15/10 के मु0न0 10, 11 की 3.837 हेक्टर में 1/6 हिस्सा व इसी चक के खाता स० 14/9 के मु0न0 16 की 1.66 हैक्टर में 311/4980 हिस्सा बचन सिंह के नाम से दर्ज है जिसे संशोधित कर गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिंह पुत्र उजागर सिंह अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner